आतंकियों की पालनहार पाक सरकार के विरुद्ध लाहौर में उठी जन-लहर

लाहौर से विशेष संवाददाता

22 अप्रैल 2018 को लाहौर के एतिहासिक मोची दरवाज़ा मैदान में पश्तून तहाफुज़ मूव (पीटीएम) एवं लाहौर लेफ्ट फ्रंट (एलएलएफ़) के नेताओं को सुनने के लिये दसियों हज़ार लोगों की विशाल भीड़ एकत्रित हुई इसे रोकने की ज़िला प्रशासन की सभी कोशिशें नाकाम रही। स्थानीय प्रशासन ने पीटीएम और एलएलएफ़ की रैली करने की दो अर्जियां तथाकथित सुरक्षा कारणों से रद्द कर दी।

रैली से एक रात पहले पीटीएम के 10 नेताओं को एक होटल से, जहां वो ठहरे हुए थे, गिरफ़्तार कर लिया लेकिन प्रचण्ड सोशल मीडिया प्रचार एवं स्थानीय प्रदर्शन होने पर कुछ ही घन्टों में उन्हें रिहा करना पड़ा। इनमें प्रमुख तौर पर तबकाती जद्दोजहद के अली वज़ीर, पीटीएम के प्रमुख नेता निसार शाह, जम्मू कश्मीर अवामी वर्कर्स पार्टी के प्रमुख फानूस गूर्जर और महिला लोकतांत्रिक मोर्चा की प्रधान इसमत शाह जहां थी।

स्थानीय प्रशासन के तमाम दबावों के बावजूद पीटीएम के नेता मन्जूर पश्तीन ने फेस बुक पर लाईव घोषणा की कि रैली तयशुदा समय पर उसी स्थान पर होगी जिसे कुछ ही मिनटों में दो लाख लोगों ने देखा।

जनता का दबाव ऐसा जबरदस्त रहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरीयम एवं बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल ने भी इन गिरफ़्तारियों की निंदा की और उन्हें रिहा करने की मांग भी कर डाली। गौर तलब है कि पंजाब प्रदेश में नवाज़ शरीफ़ की पीएलएमएन की सरकार है जो ये सब कार्यवाहियां कर रही है। सब जानते हैं कि खुफ़िया एजेंसियां स्थानीय प्रशासन पर दबाव डाल रही थीं कि रैली आयोजित न करने दी जाये।

बहुत से वामपंथी नेताओं को एजेंसियों द्वारा धमकियां मिली कि यदि पीटीएम नेताओं की मदद की तो उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जायेगा। इनमें तबकाती जद्दोजहद के नेता डॉ. लाल खान भी थे। कई नेता गिरफ़्तारी से बचने के लिये भूमिगत हो गये।

खुफिया एजेंसियों ने पूरी तरह से चौतरफ़ा चाक चौबन्द प्रबन्ध किये कि किसी तरह का पोस्टर पर्चा न निकले, प्रेसों पर छापे मार कर 20000 छपे हुए पर्चे कब्ज़े में लेकर जला दिये गये। यहां तक कि सभी मीडिया पर पूरी तरह से ब्लैक आउट रखा गया। केवल डेली डान ने नेताओं की गिरफ़्तारी और रैली की खबर छापी।

आयोजकों ने स्पष्ट रूप से कह दिया, चाहे कुछ भी हो रैली हो के रहेगी और ये घोषणा कर दी यदि धार्मिक कट्टर पंथी कई दिन तक मुख्य सड़कों को ब्लॉक कर के जनता को परेशान करते हैं और इनके खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो हम तो एक मैदान में, जहां आम जन को कोई परेशानी नहीं है और शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात कहना चाहते हैं, तो प्रशासन को क्या तकलीफ़ है? ये हमारा मौलिक अधिकार है। इस प्रकार धमकियों और गिरफ़्तारी से बात नहीं बनी तो खुफ़िया एजेंसियों ने गंदा गटर का पानी मैदान की ओर मोड़ दिया और पूरे मैदान में सीवर का बदबूदार पानी भर दिया। पहले कार्यक्रम था कि मैदान में दरी गलीचे बिछा कर काम चला लिया जायेगा। परन्तु सुबह वह कार्यकर्ता आये तो हैरान रह गये, लेकिन जिनके हौसले बुलंद होते हैं हार नहीं मानते। सब ने मिल कर मैदान साफ़ किया और महंगे दामों पर कुर्सियों का इन्तज़ाम कर के रैली की।

पख्तून युवकों द्वारा चलायी जाने वाली संस्था पीटीएम बड़ी शीघ्रता से उन पख्तून नौजवानों के मन में अपनी जगह बनाती जा रही है जो 9/11 के हादसे के बाद दहशतगर्दी का शिकार हैं। एक स्थानीय छात्र नेता मंजूर पख्तून द्वारा 2014 में पीटीएम की स्थापना हुई इस का मुख्य उद्देश्य कबिलाई इलाकों से बारूदी सुरंगे साफ करवाना था जिसकी वजह से कई जानें गयी थीं।

पुलिस द्वारा नकी बुल्लाह महसूद की एक झूठे एनकाऊंटर में हत्या किये जाने के बाद तो सारे कबीलाई इलाके में एक घना आंदोलन चल पड़ा।

मंजूर पख्तून और अली वजीर इस आंदोलन के नेता हैं। अली वजीर एक मार्क्सवादी नेता हैं जिन्होंने तालिबान का विरोध करते हुए अपने परिवार के 17 लोगों को खोया है और उनका घर बार जायदाद सब तबाह हो गयी है। परन्तु उन्होंने धार्मिक कट्टरपंथियों के आगे झुकने से इन्कार कर दिया और हिम्मत और जन समर्थन के बल पर अपना कार्य जारी रखा।

पीटीएम नेताओं ने पिछले दो महीनों में पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में लाखों लोगों को सम्बोधित किया है उनकी मांगें बहुत ही सच्ची और जायज हैं।

1. खोये हुए व्यक्तियों की खोज खबर ली जाये।
2. जिन लोगों को मिलटरी ऑपरेशन के दौरान में घर, दुकान, व्यापार इत्यादि का नुक्सान हुआ है उन्हें उचित मुआवज़ा दिया जाये।
3. यदि किसी के खिलाफ़ कोई शिकायत है तो उसे 24 घंटे में न्यायालय में पेश किया जाये न कि अपहरण कर के हत्या कर दी जाये।
4. अच्छा और बुरा तालिबान कोई नहीं होता, सरकार सभी कट्टरपंथियों से नाता तोड़े। ये मांगे अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान सेना द्वारा की गई कार्यवाहियों में मारे गये या घर बार छोड़ कर दूसरे इलाकों में बस गये। लोगों के हालात ब्यान करती हैं। लाखों पख्तूनों का जीवन नरक से बदतर कर दिया गया है।

इसी परिपेक्ष्य में एलएलएफ़ (लाहौर लेफ़्ट फ्रंट) ने तय किया कि वो 22 अप्रैल को एक मार्च निकालेंगे और पीटीएम के साथ मिल कर एक रैली निकालेंगे और इसे कामयाब करेंगे। इस कार्यक्रम से एक दिन पहले खुफिया एजेंसियों ने 300 स्थानीय गुन्डों के एक गिरोह से मोटर बाईक रैली निकलवाई, जिसमें पीटीएम और एलएलएफ के नेताओं को सरेआम धमकियां दी और उन्हें गद्दार बताया।

मोची गेट मैदान की ये रैली एतिहासिक बन गयी। शहर के हर कोने से हजारों लोग बिना किसी सवारी के रैली मैदान पहुंचे। ये एकता और समर्थन का जबरदस्त प्रदर्शन था। पंजाबी और पख्तून मज़दूरों का भावनात्मक गठजोड़ था। हर भाषणकर्ता को भरपूर समर्थन मिला। भूख और हिंसा से आज़ादी मुख्य नारे थे।

इसमें फ़ैज अहमद फैज एवं जावेद हबीब जैसे क्रान्तिकारी शायरों की बेटियों ने भी शिरकत की। मानवाधिकारों की झंडा बरदार आसमां जहांगीर की बेटी एवं बहन भी मंच पर मौजूद थीं।

खबर (दार) झरोखा

अगर सच कहना ही देशद्रोह है.....

(बस्तर के पत्रकार कमल शुक्ला पर कार्टून शेयर करने के जुर्म (?) में राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया गया है। इसकी निंदा करते हुए, हम कमल शुक्ला का कमेंट यहां दे रहे हैं, उनके जज्बे को सलाम!)

''राष्ट्रद्रोह 124 (आ) मुझ पर लगाया गया है ।। देश मे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किये जाने की साजिश पर अकेले मैने चिंता जाहिर नही की है बल्कि तमाम विपक्षी दलों सहित स्वस्थ लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले सभी पत्रकार, लेखक बुद्धिजीवी इस विषय पर रिपोर्ट, लेख, कार्टून आदि के द्वारा लोगों को आगाह कर रहे हैं।

''जज लोया के प्रकरण पर चीफ जस्टिस की भूमिका पर उंगली खुद सुप्रीमकोर्ट के चार सीनियर मजिस्ट्रेट उठा चुके हैं । कांग्रेस और कई अन्य दलों ने महाभियोग भी लाया , जो बिना जांचे परखे खारिज किया जाकर लोकतंत्र को और करारा झटका दिया जा चुका । जब चीफ जस्टिस ने जज लोया की संदेहास्पद मृत्यु के मामले पर जांच की मांग खारिज कर देश भर के जनता के संदेह को पुष्ट कर दिया कि देश का सर्वोच्च न्याय पालिका दबाव में है तो वह कार्टून (जो अब मेरे वाल से सम्भवत: फेसबुक ने हटा लिया है) कैसे गलत और राष्ट्रद्रोह हो सकता है ।

''न्याय की देवी के रूप में आंखों पर पट्टी बांधे और तराजू रखे महिला को इस कार्टून में नीचे गिरा दिखाया गया है, जिसके हाथों को वर्तमान तंत्र के जिम्मेदार राजनीतिज्ञों द्वारा कस रखा गया है , इनके सामने देश बांटने वाली विचारधारा के प्रमुख खड़े हुए हैं । तो सच तो यही है , इसमे गलत क्या है । इस कार्टून में न्यायपालिका की स्थिति पर चिंता प्रकट की गई है जो राष्ट्रद्रोह हो ही नही सकता । फिर किसी के फेसबुक पोस्ट पर यह धारा तो लगाया ही नही जा सकता ।

''अगर सच कहना ही देश द्रोह है तो फिर से सुन लो , कार्पोरेट के गुलाम मोदी , शाह की रखैल बनी भाजपा की सरकार ने देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को तहस नहस कर डाला है । न्यायपालिका में अपने चहेतों को बिठा दिया गया है और भाजपा समर्थकों के गम्भीर अपराध माफ किया जा रहा है । भाजपा सरकार को अपने खर्चे से स्थापित करने वाले सेठ अम्बानी ने उनके पक्ष में देश की आधी से ज्यादा मीडिया घराना खरीदकर लोकतंत्र की रीढ़ तोड़ दी है । यही सच है , मैं बार बार कहूंगा ।''

एक बहुत जबर्दस्त घटना हो रही है!

इसके बारे में शहरी लोगों को पता नहीं है। लेकिन इस घटना से सरकार बहुत डरी हुई है।

आदिवासियों ने अपने गाँव आज़ाद घोषित करने शुरू कर दिए हैं। मैंने गुजरात में जाकर इस तरह के गाँव में लोगों से मुलाक़ात करके पूरी जानकारी ली।

आदिवासियों ने अपने गाँव के बाहर सूचना लगा दी है कि भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के मुताबिक़ अबसे इस गाँव की ज़मीन , जंगल और विकास के बारे इस गाँव के आदिवासी खुद ही फैसला करेंगे। कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, पुलिस वाले या वन विभाग के लोग इस गाँव में प्रवेश ना करें।

इस तरह की आज़ादी की घोषणा झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने भी करनी शुरू कर दी है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने अपनी परम्परा के मुताबिक़ आज़ादी की यह घोषणा पत्थर पर लिख कर गाँव के बाहर लगा कर कर दी है। इससे सरकार, पुलिस और कम्पनियां घबरा गई हैं।

भाजपा के लुटेरे नेता और गुंडे, कम्पनियों से रिश्वत खाकर काम करने वाले पुलिस के अधिकारी और उनके साथी भ्रष्ट अखबार के मालिक मिल कर आदिवासियों की इस घोषणा के खिलाफ मिल कर हमला बोल रहे हैं।

हाल ही में कई आदिवासी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जेल में डाल दिया। भाजपा के गुंडों ने पत्थरों को उखाड़ दिया है और आदिवासियों पर हमला किया।पुलिस ने घायल आदिवासियों को ही जेल में डाल दिया है।

मानवाधिकार संगठन पीयूसीएल ने इस घटना के खिलाफ और आदिवासियों के पक्ष में बयान जारी किया है। पूर्व कृषि मंत्री और आदिवासी नेता अरविन्द नेताम ने भी पुलिस के इस हमलों का विरोध किया है।

इस महान क्रांति को हो सकता है गर्भ में ही मार दिया जाय। लेकिन यह तो तय है कि इतिहास आदिवासियों के इस विद्रोह और आज़ादी के इस उद्घोष को बहुत महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज़ करेगा।

-हिमांशु कुमार

लोकमान्य तिलक पर लगे राजद्रोह के मुकदमे को जिन्ना ने लड़ा था

जब राष्ट्रवादी तिलक पर लगा था राजद्रोह, जिन्ना बने थे उनके मुहाफिज जिन्ना ने तिलक का केस दो बार लड़ा लेकिन लेकिन पहली बार उन्हें कामयाबी हाथ नहीं लग पाई थी। लेकिन दूसरी बार अपनी सूझबूझ से वो तिलक को बचाने में कामयाब हो गए थे।

30 अप्रैल 1908 की बात है। दो राष्ट्रवादी बंगाली युवा क्रांतिकारियों प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड ऑफ कलकत्ता के काफिले पर बम से हमला कर दिया था। इस हमले में दो महिलाओं की मौत हो गई थी। हमले के बाद पकड़े जाने पर प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। फांसी से गुस्साए बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी में न सिर्फ क्रांतिकारियों का बचाव किया बल्कि देश में तुरंत पूर्ण स्वराज्य की मांग कर डाली।

बाल गंगाधर तिलक के इस कदम से गुस्साई ब्रिटिश हुकूमत ने उन पर जल्द ही राजद्रोह का आरोप लगा दिया। हुकूमत का आरोप था कि उसके एक आला अधिकारी पर हमला हुआ है पकड़े गए आरोपी को मौत की सजा दी गई है तो आखिर बाल गंगाधर तिलक इसका बचाव क्यों कर रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक पर केस चला। अपने मुकदमे में वो खुद का पक्ष ठीक से रख नहीं सके। जब मुकदमे के दौरान ऐसा लगने लगा कि तिलक अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। तो उस समय कांग्रेस में उनके विरोधी धड़े के रूप में पहचाने जाने वाले मुहम्मद अली जिन्ना को केस में इनवॉल्व किया गया।

जिन्ना ने बाल गंगाधर तिलक का पक्ष बेहद मजूबती के साथ रखा लेकिन वो तिलक को उस समय बचा नहीं सके। तिलक को छह साल के कारावास की सजा हो गई, लेकिन तिलक तो तिलक थे। वो शायद आजादी के आंदोलन में इकलौते ऐसे नेता थे जिनके खिलाफ तीन बार राजद्रोह के आरोप लगे थे। दो बार उन्हें सजा मिली थी। अभी तक हम बात कर रहे थे 1908 की, इसके अलावा 1897 में भी बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला था और तब उन्हें 18 महीने कारावास की सजा हुई थी।

लेकिन दूसरी बार ।1908) जब जिन्ना तिलक का केस लड़ रहे थे तो फिर उन्हें छह साल की सजा हुई। तिलक 1914 में जेल से छूट कर बाहर आए। पूर्ण स्वराज्य की उनकी मांग धीरे-धीरे उनके मन में बलवती होती जा रही थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग को लेकर दिए गए उनके कुछ भाषणों की वजह से एक बार फिर ।तीसरी बार) उन पर 1916 में राजद्रोह का आरोप लगा। इस बार भी उनके वकील मुहम्मद अली जिन्ना ही थे। इस बार जिन्ना शुरुआत से ही सजग थे।

नामी वकील और इतिहासकार एजी नूरानी ने अपने लेख में लिखा है कि तब तिलक चाहते थे कि यह केस भी राजनीतिक पहलुओं पर ही लड़ा जाए। लेकिन जिन्ना ने उन्हें समझाया कि अपना बचाव करने के लिए लीगल ग्राउंड बेहद जरूरी है। इसी संदर्भ में तिलक ने यह भी स्पष्ट किया था कि उनके पूर्ण स्वराज्य की मांग क्या है ?

जिन्ना की बायोग्राफी लिखने वाले स्टैनली वोलपर्ट ने लिखा है कि इस केस में तिलक को जेल जाने से बचा लिया। इस केस में तिलक 20 हजार की जमानत देकर छूटे थे। ये शायद पहली बार था जब बाल गंगाधर तिलक राजद्रोह के आरोप के बावजूद भी जेल नहीं गए थे। और ये कमाल जिन्ना ने ही किया था।

दिलचस्प बात ये है कि बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच कई बातों को लेकर आपस में मतभेद भी रहे। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद उस समय देश की आजादी के लिए अपने साथी को ब्रिटिश सरकार के पंजों से निकाल लाने में जिन्ना जरा भी पीछे नहीं हटे।

- साइबर नजर